न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- मनीषा, आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)

मुकदमा नं0 :- 55/2018

उनवान

1. कैलाश पुत्र राधेश्याम
2. रामअवतार पुत्र राधेश्याम
3. कृष्णाअबतार पुत्र राधेश्याम

} जाति महाजन निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील व जिला दौसा।

- (वादीगण)

बनाम

1 केशरदेवी बेवा राधेश्याम
2 शिवकुमार पुत्र राधेश्याम
3 राकेश पुत्र राधेश्याम

} जाति महाजन निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा।

4 राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा।
5 उप पंजीयक दौसा।

- (प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः- 1. श्री हितेश शर्मा, अधिवक्ता वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

निर्णय दिनांक : 26-2-2021

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी को निम्न अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें:-

यह है कि वाके ग्राम आछीवास तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा न0 327 रकबा 0.27 है0, खसरा न0 328/460 रकबा 0.08 है0, ख0न0 329 रकबा 0.0.95 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 का तकास्मा बाईमीटस एण्ड बाउण्डस हिस्सेनुसार किया जाकर अलग अलग खातेदारी प्रदान करें तथा अलग अलग पासबुक प्रदान करें व लगान भी अलग अलग कायम फरमाया जावे।

प्रतिवादी न0 1 ला0 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे ि कवे ग्राम आछीवास तहसील दौसा में आराजी खसरा न0 327 रकबा 0.27 है0, खसरा न0 328/460 रकबा 0. 08 है0, ख0न0 329 रकबा 0.0.95 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 के किसी भी भाग व हिस्से को किसी भी को रहनबय हस्तान्तरण नहीं करें व न ही किसी रहनबय हस्तानान्तरण के प्रलेख का पंजीयन ही करावें तथा वादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त वादीगण में दखल नहीं करें तथा प्रतिवादी न0 4 को पाबन्द फरमावे ि कवे उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी न0 5 को पाबन्द फरमावे ि कवे उक्त भूमि के किसी भी हिस्से व भू भाग के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले किसी भी रहनबय हस्तान्तरण प्रलेख का पंजियन नहीं करें।

इस पर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बाणे का बरखेडा में दिनांक 05.06.2018 को पत्रावली पेश हुई तथा प्राथमिक डिक्री जारी की गई । वादीगण बावजूद तामिल के कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी न0 1 एवं 2 कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने तकास्मा करने की सहमति दी। ग्राम आछीवास तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा न0 327 रकबा 0.27 है0, खसरा न0 328/460 रकबा 0.08 है0, ख0न0 329 रकबा 0.0.95 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेश [illegible] पत्रांक कोर्ट/18/7628 दिनांक 28.08.2018 व कोर्ट/2020/553 दिनांक 07.10.20[illegible] के [illegible] तहसीलदार दौसा से कुर्रेजात मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई। कार्यालय [illegible] पत्रांक भू0अ0/2020/6292 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा कुर्रेजात इस न्यायालय को दिनांक [illegible].10.2020 को निम्न प्रकार से पेश किये गये।

सहायक कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested

क्र0स0	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा
1	कैलाशचन्द, कृष्णअवतार, रामअवतार पि0 राधेश्याम जाति महाजन सा0 लोटवाडा खातेदार	329/1	0.58
2	केशरदेवी पत्नि राधेश्याम, राकेश कुमार, शिवकुमार पि0 राधेश्याम जाति महाजन सा0 लोटवाडा खातेदार	329/3	0.31
		327	0.27
		2	**0.58**
3	कैलाश चन्द, कृष्णअवतार, रामअवतार, राकेश कुमार, शिवकुमार पि0 राधेश्याम केशरदेवी पत्नि राधेश्याम हि0ब0 जाति महाजन सा0 लोटवाडा खातेदार	328/460	0.08
		329/2	0.06
		2	**0.14**

तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2071-2074 में दर्ज पक्षकारान की खातेदारी हिस्से व कुर्रे रिपोर्ट का मिलान किया गया राजस्व रिकार्ड में कुर्रे रिपोर्ट खसरा 327, 328/460, 329 में पक्षकारान के खातेदारी हिस्से के अनुसार सही पायी गई है। अतः कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा

019
0095

:: आदेश ::

वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 27.10.2020 के मुताबिक खसरा न0 हाल 329/1 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम आछीवास के हिस्से का खातेदार वादी संख्या 1,2,3 को व खसरा न0 329/3 रकबा 0.31 है0, 327 रकबा 0.27 है0 प्रतिवादीगण 1, 2, 3 को व खसरा न0 328/460 रकबा 0.08 है0 , खसरा न0 329/2 रकबा 0.06 है0 वादीगण 1,2,3 व प्रतिवादीगण 1,2,3 को घोषित किया जाता है। तथा इसी अनुसार अलग-अलग खाताबन्दी की जाकर कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर मौके पर उसी अनुसार दखल(कब्जा) दिया जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट तैयार दिनांक 16.09.2020 व पेश दिनांक 27.10.2020 एवं उसके साथ पेश नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 26-2-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा

सहायक कलक्टर दौसा
जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested